


(49)



(1)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निग0प्र0क्रं0.....निगरानी - 5581/2018/छतरपुर/अ.रा सन् 2018

1- उर्मिला बेवा प्रताप सिंह आयु 75 वर्ष

2- कमलेश बेवा बृजराज सिंह आयु 58 वर्ष

दोनों निवासीगण ग्राम गौहानी तहसील गौरिहार

जिला छतरपुर म0प्र0

----- आवेदिकागण

बनाम

1- गोली तनय मैकू अहिरवार आयु 70 वर्ष

निवासी ग्राम गौहानी तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म0प्र0

2- शासन म0प्र0 (फोरमल पक्षकार)

----- अन.वेदकगण

श्री. ब्रजेश सिंह  
द्वारा आज दि. 12/09/18  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 27-9-18 पर्यंत।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0मू0रा0सं0 1959

विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सरवई

तह0 गौरिहार के राजस्व प्रकरण क्रमांक 89/अ-12/ 2017-18

मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2018 से परिवेदित होकर ।

राजस्व मण्डल म.प्र.  
12-9-18

महोदय

आवेदिकागण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करते हैं -

निगरानी के तथ्य

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिकागण के स्व0 पति आपस मे सगे भाई थे जिनके कोई संतान नहीं थी उन्होने अपनी सेवा सुश्रुवा एवं साथ के लिये अपने भानजे महेन्द्र सिंह तनय रामरूप सिंह को रख लिया था तथा महेन्द्र सिंह ही आवेदिकागण के कृषि कार्य एवं घर की सभी व्यवस्थाओं की देख-रेख करता था। आवेदिकागण के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 364, 365, 726, 857, 859/1, 889/1 890/1, 960/1, 961/1, 1018, 1227, 970/1, 1064, 985/1 कुल किता 14 एकत्र रकवा 8.772 हे0 स्थित ग्राम गौहानी तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. के आधिपत्य की भूमि है

उक्त भूमियों से लगी हुई भूमि अनावेदक क्रं0-01 के भूमि खसरा नं. 785 786 स्थित है जिसका सीमांकन अनावेदक क्रं0-01 द्वारा नायब तहसीलदार महोदय सरवई से कराया गया था। अनावेदक क्रं0-01 द्वारा नायब तहसीलदार महोदय सरवई के समक्ष सीमांकन

ने.इ.सि.ए.सि.ए.  
12/09/18

49  
01/10/18  
12/9/18


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5581/2018/छतरपुर/भू.रा.

उर्मिला विरूद्ध गोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित ।</li><li>3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार सरवाई तहसील गौरिहार के सीमांकन आदेश दिनांक 07-07-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	

  
(आर.के.जैन)  
सदस्य  
21.12.18